न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2022	28.04.2022	17.11..2022

//उनवान//

1 कृष्ण कुमार पुत्र मनोहर लाल
2 मुरारी पुत्र मनोहर लाल
3 रवि पुत्र मनोहर लाल
4 माना देवी पत्नि मनोहर लाल
5 निर्मला पुत्री मनोहर लाल
6 सुषमा पुत्री मनोहर लाल जातियान माली निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– **प्रार्थीगण**

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः– श्री सरजीत यादव – वकील प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 17.11.2022

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्राथीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल आराजी ख0नं0 2421/0.72, 2422/0.81 है0 होकर आराजी खसरा नम्बर 2421 के बाबत मिनप्रार्थीगण के पिता/पति के नाम मन्नाराम पुत्र श्रीराम का अंकन हो रहा है तथा इसी प्रकार ख0नं0 2422 के बाबत मिनप्रार्थीगण के पिता/पति का नाम मालाराम पुत्री श्रीया का अंकन हो रहा है जो दोनों ही नाम गलत है जबकि मिनप्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक सही नाम [illegible] के एवं प्रार्थीगण के पिता/पति के समस्त पहचान के दस्तावेजात मनोहरल[illegible] पुत्र [illegible] के नाम से बने हुए है तथा प्रार्थीगण के पिता/पति का [illegible] के स्थान पर मन्नाराम पुत्र श्रीराम व मालाराम पुत्र [illegible] रहने से मिनप्रार्थीगण को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है अंकित करते हुए विवादि[illegible]राजीयात मे अंकित नाम को दूरूस्त करके उसके स्थान पर मनोहरलाल पुत्र श्रीराम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का अंकन किया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की बाद विधिवत तलबी हाजिर अदालत आकर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण नाम दूरूस्ती का है अंकित करते हुए जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गये है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र की ताईद में विवादित आराजीयात के बाबत नकल जमाबंदीयात सम्वत् 2076–2079 किता–2, प्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा शपथपत्र, पिता/पति मनोहरलाल पुत्र श्रीराम के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति, वारीसान की ओर से विधिक वारीस शपथपत्र तथा मनोहरलाल का मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति एवं दिनांक 20.11.2021 में ग्राम पंचायत बेहरोज द्वारा मनोहरलाल पुत्र श्रीराम के वारीसान का प्रमाणपत्र एवं प्रार्थी कृष्ण कुमार, माना देवी, मुरारी, रवि कुमार के आधार कार्ड की छाया प्रतियां व परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति की पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2421, 2422 वाके ग्राम बेहरोज में स्थित होकर प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम दर्ज आराजीयात है जिस पर वे आज दिन तक काबिज है तथा आराजी खसरा नम्बर 2421 के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम मन्नाराम पुत्र श्रीराम का अंकन हो रहा है तथा ख0नं0 2422 के बाबत मालाराम पुत्र श्रीया के नाम का अंकन हो रहा है जबकि उक्त दोनों ही प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम गलत है तथा सही नाम मनोहरलाल पुत्र श्रीराम है तथा प्रार्थीगण के समस्त पहचान के दस्तावेजात एवं प्रार्थीगण के पिता/पति के पहचान के दस्तावेजात मनोहरलाल पुत्र श्रीराम के नाम के है जिनके बाबत प्रार्थीगण ने ताईद स्वरूप शपथपत्र, विधिक वारीस शपथपत्र के साथ–साथ मनोहरलाल पुत्र श्रीराम का दिनांक 31.07.2012 में जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार से प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर विवादित आराजीयात में अंकित मन्नाराम पुत्र श्रीराम व मालाराम पुत्र श्रीया के नाम के अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मनोहरलाल पुत्र श्रीराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस प्रार्थीगण सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में पस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन [illegible] प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2421/0.72, 2422/0.81 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं खसरा नम्बर 2421 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मन्नाराम पुत्र श्रीराम व खसरा नम्बर 2422 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मालाराम पुत्र श्रीया को हजफ किये जाने के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिये जाते हैं एवं इनके स्थान पर उक्त विवादित दोनों खसरा नम्बरान के हाल **राजस्व** रिकॉर्ड में मनोहरलाल पुत्र श्रीराम के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17-11-2022

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:11 IST
Reason: SelfAttested